न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या – 2515/14
बिहार सरकार वनाम बब्लू सिंह

फार्म – ए

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

उपस्थित– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह– विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

निर्णय की तिथि – 04.06.2026

जी.आर. वाद संख्या – 2515/14

प्राथमिकी संख्या – 67/14

धारा अंतर्गत : 448, 323, 354, 379, 504 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

थाना – **अनुसुचित जाति /जनजाति थाना, बांका**

सूचक	कुमारी रंजना (सहायक शिक्षिका), प्रोन्नत मध्य विद्यालय, कोरियन्धा, थाना+जिला – बांका।
अभियोजन की तरफ से विद्वान अधिवक्ता	श्री शंकर नुतन लाल (विशेष लोक अभियोजक)
अभियुक्त	1. **बबलू सिंह** पिता छोटेलाल सिंह, ग्राम कोरियंधा, थाना बांका, जिला बांका, उम्र लगभग 48 वर्ष।
अभियक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री मनोज कुमार राय (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

अपराध की तिथि	11-12-2014
प्राथमिकी की तिथि	11-12-2014
अंतिम प्रपत्र की तिथि	31-01-2015
आरोप गठन की तिथि	08-01-2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	06-05-2022
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	21-05-2026
निर्णय की तिथि	04-06-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	N.A.

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या – 2515/14
बिहार सरकार वनाम बब्लू सिंह

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/ आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दी गई सजा/ दंडादेश	धारा 428 दंड प्रकिया संहिता (Cr.P.C.)के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गई हिरासत की अवधि
1	बबलू सिंह			448, 323, 379, 504 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	

फार्म – सी

अभियोजन/प्रतिरक्षापक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्ष्य

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	कुमारी रंजना	सूचक
02.	राम रूप मंडल	अन्य
03.	सरीता कुमारी	अन्य
04.	प्रभाकर सुमन	अन्य
05.	दुर्गी देवी	पक्षद्रोही

क. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि हो,

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	उर्मीला देवी	अन्य

स. न्यायालय साक्षी, यदि हो

कम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	P-1/P.W.1	प्राथमिकी

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्श –

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श – ए	हस्तानांतरण प्रमाण पत्र

स. न्यायालय प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

द. वस्तु प्रदर्श

कम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

<u>निर्णय</u>

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 448, 323, 354, 379, 504 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारण किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है कि सूचिका कुमारी रंजना सहायक शिक्षक प्रोन्नत विद्यालय कोरियन्धा, बांका की है ने एक लिखित आवेदन अनुसुचित जाति/जनजाति थाना बांका को एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया है कि दिनांक 11.12.2014 को दिन में समय 11:20 बजे पठन–पाठन का कार्य कर रही थी बबलु सिंह आकर कहा कि मेरी लडकी का उपस्थित 75 प्रतिशत क्यों नहीं पुराई छात्रवृति नहीं मिला तो समझ लेना और सूचिका को गाली–गलौज जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुये बेरहमी से मारने लगा एवं हाथ पकडकर कक्षा से खिंचकर बाहर ले आया जब वह विद्यालय परिसर से बाहर ले जाने का प्रयास किया तो सूचिका चिल्लायी जिस पर शिक्षक व शिक्षिका दौडे तो वह उनके गले से सोने का चैन खीचंकर ले भागा तथा जान मारने का धमकी दिया।
3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर बांका अनुसचित जाति/जनजाति थाना काण्ड संख्या 67/14 दिनांक 11.12.2014 को दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 01/15 समर्पित किया गया।
4. दिनांक 10.06.2011 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 353, 354, 504, 506 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x)(xi) अनुसुचित

जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।

5. दिनांक 24.08.2011 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 353, 354, 504, 506 भा0द0वि0 एवं 3(i)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया, सुन समझ कर अभियुक्त ने आरोप शिर्ष से इन्कार कर वाद विचारण का दावा किया।

6. अभियोजन की ओर से विचारण के क्रम में 05 साक्षी प्रस्तुत किया गया है अ0सा0सं0–01 कुमारी रंजना, अ0सा0सं0 –02 राम रूप मंडल, अ0सा0सं0 – 03 सरीता देवी, अ0सा0सं0 – 04 प्रभाकर सुमन एवं अ0सा0सं0 – 05 दुर्गी देवी का परिक्षण कराया गया।

7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी को प्रदर्श –1 साबित कराया गया है।

8. अभियोजन का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अधिरोपित आरोप से इन्कार करते हुये स्वंय को निर्दोष कहा है।

9. बचाव पक्ष की ओर से प्रतिवादी साक्षी उर्मीला कुमारी को प्रस्तुत किया गया है एवं विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्रदर्श – ए साबित कराया गया है।

10. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते में सफल रहा है?

मंतव्य

11. अ0सा0सं0 – 05 दुर्गी देवी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन के द्वारा साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराया गया परन्तु इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन वाद को बल मिल सके।

12. साक्षी 01 कुमारी रंजना (सूचिका) कंडिका 1 यह घटना 11.12.2014 की है, समय 11:20 बज दिन का था। मैं विद्यालय में थी। मैं प्रथम और द्वितीय कक्षा का पठन–पाठन कार्य कर रहें थे उसी में ग्रामीण बबलु सिंह आकर जाति सूचक गाली देने लगा और मेरे साथ मारपीट किया, और

धमकी दिया कि तुमको देख लेगे। उसकी बेटी मेरे विद्यालय में पढती है उसका 50 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं होने के कारण वो मेरे साथ मारपीट करने लगे उसकी बेटी को पैसा नहीं मिल सका। और मेरे गले से चैन खींच कर भाग गया। तब थाना में केस किये लिखित आवेदन मेरी लिखावट एवं हस्ताक्षर में है पहचानते है इसे प्रदर्श P-1/P.W. 1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 4, विद्यालय का सभी कक्षा अलग–अलग है। मैं घटना के दिन प्रथम तथा द्वितीय कक्षा पठन–पाठन कार्य कर रही थी। 9:40 से 4 बजे तक पठन–पाठन का कार्य चल रहा था। उस दिन क्लास में कितने बच्चे थे नहीं कह सकते है क्योंकि यह घटना बहुत दिन का है। कंडिका 5, 75 प्रतिशत पुरा होने पर बच्चों को एसकॉलरशिप मिलता है। कितने बच्चे का 75 प्रतिशत पुरा हुआ था और कितने का नहीं पुरा था याद नहीं है। किसी का गार्जीयन नहीं आये थे। बहुतो का प्रतिशत पुरा नहीं हुआ था। कंडिका 6 अभियुक्त की लडकी का नाम काजल और उर्मीला कुमारी है। इन दो बच्चियों के अलावे अन्य किसी बच्ची का नाम याद नहीं है जिसका प्रतिशत पुरा नहीं था। कंडिका 7 मैं उस कक्षा में 9:40 में प्रवेश की थी और 45 मिनट क बाद निकल गयी थी। उसके बाद दुसरे क्लास में चले जाते है। प्रत्येक दिन 45 मिनट का क्लास होता है। कंडिका 8 यह घटना का दिन याद नहीं है दिनांक 11.12.2014 की है। कंडिका 9 दीपक कुमार मंडल के विरूद्ध केस किये है। अभियुक्त अकेले आया था उसक अलावे पठन कक्षा में बच्चों के अलावे और बाहरी कोई नहीं था। कक्षा में अभियुक्त के साथ कोई नहीं घुसा था। वह लगभग आधा–पौना घंटा वहॅा रहा था। 10 मिनट के बाद सारे शिक्षक आये। हम नहीं बताये सभी देख रहें थे। कंडिका 10 घटना की सूचना डी0ओ0 का नहीं दिये थे ना ही किसी वरिय पदाधिकारी को लिखित रूप से सूचना नहीं दिये थे। प्रधानाध्यापक को लिखित सूचना दिये थे। उस कागज के साथ वे हमको थाना भेज दिये। कंडिका 11 मेरे साथ मेरी शिक्षिका प्रियंका गुप्ता गयी थी। अनुसंधानकर्ता से घटना के दो–तीन दिन के बाद स्कुल में मेरा मुलाकात हुआ था।

13. साक्षी 02 राम रूप मंडल कंडिका 1 यह घटना 11.12.2014 की है, समय 11:30 बजे दिन की है। मैं विद्यालय में था। मैं अपनी कक्षा में पढा रहा था हल्ला सुने हल्ला पर बाहर आये और शिक्षककर्मी भी बाहर निकले

और देखे कि एक ग्रामीण बब्लू सिंह, कुमारी रंजना का झोटा पकडकर क्लास से बाहर निकाल दिया गाली–गलौज करते हुये धक्का मुक्की करने लगा जातिसूचक गाली दिया। हमलोग बीच बचाव किये तो सभी शिक्षकर्मीयों को गाली–गलौज करते हुये तथा धमकी देते हुये भाग गया। उस समय मैं और कुमारी रंजना एक ही विद्यालय में कार्यरत था। तब थाना में केस मुकदमा हुआ।

14. साक्षी 03 सरीता कुमारी कंडिका 1 यह घटना 11.12.2014 की है। समय 11:20 बजे दिन की है। घटना के समय मैं विद्यालय मैं पढा रही थी। हल्ला हुआ हल्ला पर हम नीचे उतरे और ऑफीस में आये। जब हम आये तब तक झगडा हो चुका था। कंडिका 2 कुमारी रंजना शिक्षिका और ग्रामीण बब्लु के बीच झगडा हुआ था। किस बात को लेकर झगडा हुआ था मुझे पता नहीं है।

15. साक्षी 04 प्रभाकर सुमन कंडिका 1 यह घटना 8 वर्ष पहले 11.12.2014 की घटना है। समय साढे ग्यारह बजे दिन का है। हम विद्यालय में पढा रहें थे। कंडिका 2 कुमारी रंजना भी हमारी शिक्षिका है बब्लु ग्रामीण है बब्लु और रंजना के बीच 75 प्रतिशत हाजरी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गया कि बबलु बोला कि मेरा बच्चा को छात्रवृति क्यों नही मिला और दोनों में झडप हो गया। कंडिका 3 मेरे बच्ची को आपने 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दिया किजसके कारण मेरे बच्चे को छात्रवृति नहीं मिला। वहॉ हल्ला गुल्ला होने लगा तब हमलोग वहॉ गये और समझाया। बब्लु ने कुमारी रंजना को गन्दी–गन्दी गाली–गलौज किया। हमलोग झगडा शांत करवा दिये ग्रामिणों के सहयोग से।

प्रतिपरीक्षण कडिका 5 बब्लु सिंह का बेटा मेरा विद्यालय का छात्र था और अभी उसकी बेटी छात्रा है सातवीं कक्षा की। उस समय बब्लु का बेटा पढता था। लडका का नाम याद नहीं है। बब्लु सिंह बोल रहा था कि उसके बच्चे की उपस्थिति 75 प्रतिशत क्यों नही हुई। कंडिका 6 बब्लु बोला कि आपलोग बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देते है इसी बात को लेकर दोनों में गरमा–गरमी हो गई तब हमलोगों ने हटा दिया। बब्लु भी घर चला गया हमलाग शिक्षण कार्य में लग गये। हम पुलिस के पास नहीं गये थे। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था।

16. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर अपने बचाव में प्रतिरक्षा साक्षी 01 उर्मीला कुमारी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। उन्होने अपने साक्ष्य के कंडिका 1 में

अभिकथीत किया है कि अभी वर्तमान में मैं टी.आर.पी.एस. स्कुल ककवारा में पढती हूँ। घटना के दिन मेरा किसी स्कुल में नामांकन नहीं था। प्रोन्नत मध्य विद्यालय कोरिअंधा से मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है जिसमें प्रवेश तिथि 04.04.2016 दर्ज है यह प्रमाण पत्र की मुल प्रति जो कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरीता कुमारी के हस्ताक्षर से निर्गत है उसको पहचानती हूँ उसको प्रदर्श – ए अंकित किया जाता है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 घटना के समय मैं किसी स्कुल में नहीं पढती थी। घटना के बाद मेरा नांमांकण हुआ था।

17. अभिलेख अवलोकर से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध अनुसुचित जाति/जनजाति की धारा 3(i)(x)(xi) के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है अ0सा0सं0 1 कुमारी रंजना जो इस वाद की सूचिका ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में जातिसूचक गाली देने एवं मारपीट एवं धमकी देने का तथ्य का अभिकथन किया है परन्तु उनके द्वारा जाति का नाम या गाली को स्पष्ट नहीं किया गया है तथा अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त अकेले आया था उसके अलावे पठन कक्षा में बच्चों के अलावे और बाहरी कोई नहीं था। 10 मिनट के बाद सारे शिक्षक आये। अतः घटना घटीत होने के वक्त कोई शिक्षक उपस्थित नहीं थे तथा पठन कक्षा में पठन–पाठन का कार्य चल रहा था परन्तु वाद में उपस्थित किसी विद्यार्थी का नाम साक्षी के रूप में अंकित नहीं है ना ही सूचिका के द्वारा किसी उपस्थित विद्यार्थी का नाम अपने पुरे अभिसाक्ष्य में नहीं लिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि सूचिका को अभियुक्त के द्वारा लोक दृष्टि पर अपमानीत होने का तथ्य संदेहास्पद प्रतित होता है। जबकि अन्य उपस्थित साक्षी अ0सा0सं0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में जाति सूचक गाली देने का तथ्य अभिकथित किया है परन्तु जाति विशेष का नाम स्पष्ट नहीं किया है। साक्षी 3 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि जब हम आये तब तक झगडा हो चुका था। कंडिका 2 में अभिकथित किया है कि कुमारी रंजना शिक्षिका और ग्रामीण बब्लु के बीच झगडा हुआ था। किस बात को लेकर झगडा हुआ था मुझे पता नहीं है। साक्षी 4 ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण के कंडिका 2 में अभिकथीत किया है कि कुमारी रंजना भी हमारी शिक्षिका है बब्लु ग्रामीण है बब्लु और रंजना के बीच 75% हाजरी को लेकर दोनों के बीच बहस हो गया कि बब्लु बोला कि मेरा बच्चा को छात्रवृति क्यों नही मिला और दोनों में

18. झडप हो गया। कंडिका 3 मेरे बच्ची को आपने 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दिया किजसके कारण मेरे बच्चे को छात्रवृति नहीं मिला। वहॉ हल्ला गुल्ला होने लगा तब हमलोग वहॉ गये और समझाया। बब्लु ने कुमारी रंजना को गन्दी–गन्दी गाली–गलौज किया। हमलोग झगडा शांत करवा दिये ग्रामिणों के सहयोग से। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि बब्लु बोला कि आपलोग बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देते है इसी बात को लेकर दोनों में गरमा–गरमी हो गई तब हमलोगों ने हटा दिया। बब्लु भी घर चला गया हमलाग शिक्षण कार्य में लग गये। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी साक्षी के द्वारा जाति विशेष नाम को स्पष्ट नहीं किया गया है तथा सभी हल्ला पर आये है तथा सूचिका ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथीत किया है कि घटना के 10 मिनट बाद अन्य लोग आये है साक्षियों के अभिसाक्ष्य में विरोधाभाष है। बचाव पक्ष द्वारा एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया है परन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श में पिता का नाम एवं इस वाद के अभियुक्त के नाम सत्यापित नहीं होते है अतः उसका वर्णन का औचित्य नहीं है।

अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अनुसुचित जाति/ जनजाति की धारा 3(i)(x)(xi) के अंतर्गत लगे आरोप को साबित करने में सफल नहीं रहा है।

19. अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद में धारा 448, 323, 354, 379, 504 भा0द0वि0 के तहत आरोप गठित किया गया है सूचिका ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में मारपीट का तथ्य अभिकथित किया है परन्तु गवाह का कथन अत्यंत समान्य एवं सर्वग्राही प्रकृति का है तथा उसने कथित मारपीट की विधि, प्रकार एवं विशिष्ट विवरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार गवाह ने छिने गये चैन अथवा अन्य सामान का कोई विशिष्ट विवरण, पहचान अथवा विशेषता नहीं बतायी है, जिससे इस बिन्दु पर भी उसका साक्ष्य सामान्य एवं अस्पष्ट होता है। साक्षी ने किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह का नाम नहीं बातया है, जिन्होने घटना को देखा हो ना ही अभियुक्त द्वारा महिला का लज्जा भंग करने का तथ्य लाया है। अ0सा0सं0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में अभिकथित किया है कि बब्लु सिंह कुमारी रंजन को झोटा पकडकर क्लास से बहार निकाल दिया गाली–गलौज करते हुये धक्का–मुक्की करने लगा जाति सूचक गाली दिया। परन्तु सूचिक स्वयं

अपने अभिसाक्ष्य में के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि 10 मिनट बाद सारे शिक्षक आये अतः दोनों के अभिसाक्ष्य में विरोधाभाष है जिससे साक्षी का साक्ष्य संदेहास्पद प्रतित होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 ने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण के कंडिका 3 में अभिकथीत किया है कि हल्ला गुल्ला होने लगा तब हमलोग वहॉ यगे और समझाया अगे कहे है कि हमलोग झगडा शांत करवा दिये ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिपरीक्षण कं किंडका 6 में स्वीकार किया है कि बबलु बोला कि आपलोग बच्चो पर ध्यान क्यों नहीं देते है इसी बात को लेकर दोनों में गरमा–गरमी हो गई तब हमलोगों ने हटा दिया बब्लु भी घर चला गया हमलोग शिक्षण में लग गये। साक्षी ने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि अभियोजन 448, 323, 354, 379, 504 भा0द0वि0 के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

समस्त अभिलेख के अवलोकन, साक्षी का साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य एवं तथ्य मौजुद नहीं है जो कि आरोपित धाराओं के अंतर्गत हुए अपराधों को साबित कर सके। उपर्युक्त विशलेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगे आरोपो को सारे संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार बब्लू सिंह को धारा 448, 323, 354, 379, 504 भा0द0वि0 एव 3(i)(x)(xi) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोष मुक्त करते हुये उन्हें बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित तथा खुले न्यायालय में उभयपक्षों के उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, बांका
दिनांक 04.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम, बांका
दिनांक 04.06.2026